न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर टोंक

प्रकरण संख्या 10/2020

श्री अमितेष भारद्वाज पुत्र श्री रामनारायण भारद्वाज ग्राम व पोस्ट आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी, जिला— टोक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 15—7—2020

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी को दिनांक 21.10.2019 को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :—

1— दिंनाक 1 जनवरी 2014 से गत 06 वर्षो में दूनी तहसील क्षेत्र के कृषि भूमि का एग्रोप्रोसेसिंग यूनिट में करवाने वाले भूस्वामियों की सूची तथा इन भूपरिवर्तन के आदेशों की प्रतियां।

2— उक्त अवधि यानि गत 6 वर्षो में दूनी तहसील क्षेत्र में कृषि भूमि का एग्रोप्रोसेसिंग यूनिट में भूसंपरिवर्तन होने के बाद उस भूमि को जिन व्यक्तियों ने क्रय किया उनकी मय क्षैत्रफल सूची।

अपीलार्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी से आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के सम्बन्ध में पत्र क्रमांक 331 दिनांक 18—6—2020 से जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी ने पत्र क्रमांक 199 दिनांक 2—7—2020 से जवाब प्रेषित किया कि प्रार्थना पत्र में आवेदक द्वारा सूचना के सम्बन्ध में कोई विशिष्टियॉ अंकित नहीं की गई तथा तहसील कार्यालय में रिकार्ड संधारित नहीं होने से आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया आवेदक के प्रार्थना पत्र में गॉव तथा भूमियों के खसरा नम्बरान का अंकन नहीं है ओर न ही किसी प्रकार

जिला कलेक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 17:49:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

की दिनांक आदि का अंकन है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार दूनी ने भी रिकार्ड उपलब्ध कराने में अस्मर्थता प्रकट की है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दूनी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा चाही जा रही सूचना के सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होने पर रिकार्ड का अवलोकन करावें तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्धारित शुल्क जमा कर उपलब्ध अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दूनी को निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 17:49:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner